(2)

न्यायालयः– राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   /2011 निगरानी   R-1675-II/2011

1. नारायण पुत्र जबरा ढीमर
2. श्रीमती मुलिया वेवा ऊथम ढीमर
3. श्रतीराम पुत्र गम्भीर काछी

समस्त निवासीजन पिपरोद तह. चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

4. गोविन्द सिंह
5. जहान सिंह
6. सुजान सिंह
7. सियाराम
8. सुखनंदन

} पुत्रगण हरतू सिंह यादव

समस्त निवासीजन बरोदिया तह. चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

.......आवेदकगण

बनाम

म.प्र. शासन

.........अनावेदक

श्री .... द्वारा ... 17-10-11 को प्रस्तुत ... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

17/10/11 (Laxman Singh Dhakad Adv.)

प्रतिलिपि ... 17/10/11

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. के प्र.क. 116/06–07/निगरानी में पारित आदेष दिनांक 22–07–11 के बिरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह कि, अधीनस्थ नयायालय का आदेश विधि विधान व क्षेत्राधिकार वाह्यय होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. चंदेरी के समक्ष आवेदकगण ने अपने लम्बे समय से कब्जे के आधार पर भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले आवंटन पत्र का फार्म भरकर पट्टा प्रदान किये जाने की मांग की थी क्योंकि कई कार्यवाहियाँ के अधीन जब कि भूमि शासकीय चरनोई से काविल काश्त घोषित हो चुकी थी फिर भी तहसीलदार चंदेरी ने कोई कार्यावाही नहीं की तो निगरानीकर्तागण ने पट्टा प्रदान किये जाने का आवेदन श्रीमान् एस.डी.ओ. महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। निगरानीकर्तागण अनपढ़, ग्रामीण कृषक होकर कृषि श्रमिक भूमिहीन व्यक्ति

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1675–दो/2011 निगरानी जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
1.3.2016	आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा व्यक्त किये गये विचार अनुसार अभिलेख का अवलोकन किया गया। २/ वस्तुस्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के समक्ष आवेदकगण ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५७(२) के तहत आवेदन देकर मांग की कि वह निम्नांकित भूमि पर पिछले २५-३० वर्षो से खेती करते आ रहे है - नाम आवेदनकर्ता — भूमि सर्वे नंबर — रकबा नारायण — १४६/१/२ — १.४४५ है रतिराम — १.२५४ है मुलिया — १.४६३ है गोविन्दसिंह — १६८/१ — ०.८३६ है अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने प्रकरण क्रमांक २४ अ-५७/२०००-०१ पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक १३.८.२००१ से आवेदकगण को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये। ३/ आयुक्त,ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को शिकायत प्राप्त होने पर धारा ५७ (२) के प्रकरणों के परीक्षण के निर्देश दिनांक २३ (२४) सितम्बर , २००४ जारी किये गये। इसी कम में अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के प्रकरण क्रमांक २४ अ-५७ /२०००-०१ का परीक्षण करने पर अनियमितताऐं उजागर होने पर कलेक्टर अशोकनगर ने आवेदकगण को सुनवाई हेतु आहुत किया एंव अनावेदकगण व्दारा कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष उपस्थित होकर	

बचाव प्रस्तुत किया। हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर कलेक्टर अशोकनगर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक ५६/२००४-०५ में आदेश दिनांक २९-९-०६ पारित किया एंव अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के प्रकरण क्रमांक २४ अ-५७/२०००-०१ में पारित आदेश दिनांक १३.८.२००१ को निरस्त कर दिया। कलेक्टर अशोकनगर के आदेश I के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी क्रमांक ११६/२००६-०७ प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक २२-७-२०११ से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

४/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने प्र०क्र० २४ अ-५७/२०००-०१ में पारित आदेश दिनांक १३.८.२००१ से आवेदकगण को उक्तांकित भूमि पर २५-३० वर्ष से कब्जा करके खेती करते आना बताने पर संहिता की धारा ५७ के अंतर्गत भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये है, जबकि संहिता की धारा ५७(१) इस प्रकार है :-

" समस्त भूमियां राज्य सरकार की है और एतदव्दारा यह घोषित किया जाता है कि ऐसी समस्त भूमियां जिनमें रूका हुआ पानी, खाने , पत्थर की खदानें, खनिज पदार्थ तथा बन, चाहे वे रक्षित हों या नही, सम्मिलित है तथा किसी भूमि की अधोमृदा में समस्त अधिकार राज्य सरकार की संपत्ति है। परन्तु इस कोड में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस धारा का कोई भी बात किसी व्यक्ति के किसी ऐसी संपत्ति में के किन्हीं ऐसे अधिकारों पर , जो कि इस कोड के पृवृत्त होने के समय अस्तित्व में रहे हों - प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जावेगी।"

वाद विचारित भूमि पर कोड प्रवृत होने के पूर्व अर्थात २-१०-१९५९ के पूर्व भूमि शासकीय अभिलेख में म०प्र०शासन की दर्ज रही है एंव

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1675–दो/2011 निगरानी जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के आदेश दिनांक १३.८.२००१ तक भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज रही है तब ऐसी भूमि पर आवेदकगण का स्वामित्व मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कब्जे के आधार पर आवेदकगण को भूमिस्वामी घोषित करने में त्रृटि की गई है जिसके कारण कलेक्टर अशोकनगर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक ५६/२००४-०५ में आदेश दिनांक २९-९-०६ से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नही की है। ५/ जहॉ तक कलेक्टर व्दारा स्वमेव निगरानी प्रकरण विलम्ब से दर्ज करने का प्रश्न है ? आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को शिकायत होने पर धारा ५७(२) के प्रकरणों के परीक्षण के निर्देश दिनांक २३(२४) सितम्बर २००४ प्राप्त हुये है , तदुपरांत अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के प्रकरण कमांक २४ अ-५७/२०००-०१ के परीक्षण में अनियमितायें करने का तथ्य कलेक्टर अशोकनगर के अभिज्ञान में आया है और कलेक्टर अशोकनगर को जैसे ही उक्त जानकारी का पता चला, उन्होंने स्वमेव निगरानी दर्ज कर आवेदकगण को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर देकर आदेश दिनांक २९-९-२००६ पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने निगरानी कमांक ११६/२००६-०७ में पारित आदेश दिनांक २२-७-२०११ से कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।	

नि 1675 II/2011 ग्वालियर

६/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक ११६/२००६-०७ निगरानी में पारित आदेश दिनांक २२-७-२०११ विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य